न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 69/2024 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/12**
दायर दिनांक :– 30.04.2024 **निर्णय दिनांक :– 05.02.2025**

1. सवाईसिंह पुत्र तेजसिंह जाति राजपूत निवासी कानासी मोटी तहसील बाप जिला फलोदी
2. उगमसिंह पुत्र आईदानसिंह जाति राजपूत निवासी कानासी मोटी तह. बाप जिला फलोदी
3. किशनसिंह पुत्र आईदानसिंह जाति राजपूत निवासी कानासी मोटी तह. बाप जिला फलोदी
4. मेघसिंह पुत्र आईदानसिंह जाति राजपूत निवासी कानासी मोटी तह. बाप जिला फलोदी
5. महेन्द्रसिंह पुत्र आईदानसिंह जाति राजपूत निवासी कानासी मोटी तह. बाप जिला फलोदी
6. किशनकंवर पत्नी आईदानसिंह जाति राजपूत निवासी कानासी मोटी तह. बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. अखेसिंह पुत्र प्रयागसिंह जाति राजपूत निवासी कानासी मोटी तहसील बाप जिला फलोदी
2. मगसिंह पुत्र पीरदानसिंह जाति राजपूत निवासी कानासी मोटी तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री करणीसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता अप्रार्थीगण

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्व मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थी का वाद प्रथम दृष्टया साबित है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त होने से सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है यदि प्रार्थीगण को अपने हिस्से पर कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल कर दिया जाता है तो उससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्याकंन किया जाना संभव नहीं है। नैसर्गिक न्याय के तीनों आधारभूत सिद्वान्त प्रार्थीगण के पक्ष में होने से उक्त वाद में प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सह काश्तकारी की भूमि खसरा नम्बर 8 रकबा 7.0011 हैक्टेयर ग्राम कानासी मोटी पटवार क्षेत्र टेपू उर्फ जोधाणी तहसील बाप में आई हुई है। प्रार्थी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, प्रार्थीगण संख्या 2 ता 6 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा और अप्रार्थी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा है। अप्रार्थी संख्या 1 अजनबी केता अप्रार्थी संख्या 2 के साथ मिलकर सह खातेदारी की अविभाजित भूमि के मूल भूत सिद्वान्तों का उल्लघंन कर वक्त भू प्रबन्ध से मूल खातेदार प्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर देने पर प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्याकंन रूपयों

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

में नहीं आंका जा सकता है इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने के हकदार है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की और से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश गोदारा ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जमाबंदी इत्यादि का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि विवादग्रस्त खसरान् की भूमि में सामलाती रहते प्रार्थीगण का इंच इंच पर कब्जा काश्त है इसका निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही तय किया जा सकता है। अतः पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात के आधार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई व्यादेश बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक ग्राम कानासी मोटी के खसरा नम्बर 8 रकबा 7.0011 हैक्टेयर भूमि में अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि में दखलअंदाजी न करे तथा मौके की यथास्थिति बनायें रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
बाप, जिला फलोदी (राज.)

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)